FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ________ मुकाम ________

________ बनाम ________

किस्म मुकदमा ________ नं. ________ सन् ________

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/01/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रार्थी वकील उपस्थित अप्रार्थी वकील अनुपस्थित। अप्रार्थी वकील व अप्रार्थी पक्ष से आवाज लगाई गई। उपस्थित नहीं है। अप्रार्थी पक्ष के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस सुनने के पश्चात, पत्रावली के अवलोकन व दस्तावेज के परिशीलन के आधार पर पत्रावली का सांगोपांग अध्ययन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रार्थी व अप्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि ग्राम पालड़ी सिद्धा के खसरा संख्या 839, 840 के रिकॉर्ड खातेदार है अगर उक्त विवादग्रस्त भूमि का बिना विधिक बंटवारा बेचान हस्तांतरण होगा तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर उभयपक्ष को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबंद किया जाता है कि वे विवादग्रस्त भूमि ग्राम पालड़ी सिद्धा के खसरा संख्या 839, 840 का विशेष भू भाग दर्शाकर बेचान, हस्तांतरण नहीं करें।	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	विवादग्रस्त भूमि की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष बनाए रखेंगे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।	
	(हस्ताक्षर)	
	सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)	